


पत्रावली प्रेष हुई। वकील श्री 34/1/1951  
 जरी सं. 540 14 की कोर्ट से A.W.N.K.  
 ने जवाब सं. फॉर्म नं. 3 के साथ 5/11/51 को  
 प्रेष किया। इसके साथ ही वकील श्री कोर्ट  
 के A.W.N.S. ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत  
 कोर्ट नियम 23 नियम। CPC प्रेष कर  
 निवेदन दिया गया की कोर्ट कोर्ट  
 की कोर्ट से पत्रावली के मध्य  
 राजीनामा कर लिया गया है इसके  
 बाद कोर्ट की पत्रावली पाए है, बाद  
 को कोर्ट प्रेष करने के अधिकारों को  
 सुरक्षित रखते हुए बाद परिये किरी  
 खारिज कर मांगे जाने या निवेदन  
 किया गया। अतः वकील का नोट  
 प्रेष प्रेष करने के अधिकारों को  
 सुरक्षित रखते हुए बाद परिये किरी  
 खारिज दिया जाता है।

पत्रावली के सत सुपर डेप्य  
 नंबर से कोर्ट से सं. दाखिल जमा  
 है।

  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बीपाड़ शहर (जांघपुर)